तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
1-3-19	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक एवं अपीलान्ट दोनों अनुपस्थित। प्रकरण में प्रथमतया ही अपीलान्ट व अभिभाषक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अक्स हाजरी अक्स फैरवी में खारीज योग्य है, साथ ही यह भी पाया गया कि रिस्पो. सं. 1 की मृत्यु की सूचना दिनांक 8.10.2015 (हरा रिस्पोडेन्ट) दिये जाने पर भी वादम मुकदमा अपील दरीख 4 माह विलम्ब से दिनांक 26-5-16 को पेश किया गया है तथा वादम मुकदमा अपील के साथ रिस्पो. कोई मेन्युअल के अनुपालन प्रलक्षण अनुसार शपथ-पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि विलम्ब उपशमन के लिये दिया गया आवेदन भी शपथ-पत्र रहित है तथा मयाद दरखोन किये जाने के लिये उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। उपरोक्त समस्त विवेचना अनुसार अपील अपीलान्ट अक्स हाजरी अक्स फैरवी एवं Abate होने से खारीज की जाती है। प्रकरण पंजीयन शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते

न्यायालय आयुक्त/अति. आयुक्त आबकारी, जयपुर

प्रमाणित प्रति Web Copy Not Official

दिनांक 1-3-19 नकल अर्द्ध काम निगरानी 2015/21

बगदीबाई/भंवरलाल